"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021" निशुल्क 26.11.2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
चोरवाराम पुत्र रूपाराम जाति नाथ सा० शिव		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद–पत्र = वाद रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्वि बाबत

GCMS No. 2021/979

वाद–पत्र नम्बर 237/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	वादी श्री चोरवाराम पुत्र रूपाराम जाति नाथ निवासी शिव द्वारा आज "प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत शिव में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-76 ग्राम शिव पटवार मण्डल शिव के खाता नम्बर 170 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि चोरवाराम पुत्र रूपाराम सा० छोटीलाडी दर्ज है, जो अशुद्व है। वादी का शुद्व नाम चोरवाराम पुत्र रूपाराम सा० शिव है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्व प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. – आधार नम्बर ...... मतदाता पहचान पत्र – अन्य दस्तावेज – – की छाया प्रति प्रस्तुत की है। इस संबंध में हल्का पटवारी शिव भू.अ.नि चितावा एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्व किये जाने की अनुशंषा की है। अतः वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्व प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा मुताबिक जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी (नागौर)	1004-1008

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.28 12:24:27 IST
Reason: SelfAttested